13.8.2020 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित
प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी पर
बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली
का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र बजबान
प्रार्थनापत्र मे अंकित वाद सं० 231/14
वर्ष 2014 से सुनवाई मे चल रहा है व
धोखात्मक वाद है। वर्तमान वाद उसी
वादभूमि का विभाजन का वाद है। वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 15:01:59 IST
Reason: SelfAttested

वाद मे वादीगण के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, मगर जमाबंदी में बतौर खातेदार नाम दर्ज नही है। इसलिए जब किसी वादभूमि का घोषणात्मक वाद लम्बित है। जिसके वाद के पक्षकारान का हक हिस्सा परिवर्तित होने की संभावना है। तो उसी वादभूमि का तकासमा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही उक्त पूर्ववर्ती वाद में भी पक्षकारान अपना पक्ष बाबत विभाजन पेश करने हेतु स्वतंत्र थे, अलग से वाद पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी धारा 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर हस्तगत वाद स्थगित किए जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत वाद में पूर्ववर्ती वाद 231/14 के सुनवाई विचाराधीन रहने तक कार्यवाही स्थगित की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यभारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 15:01:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)